बिहार विधान परिषद् सचिवालय,पटना

विज्ञापन संख्या-02/2024

सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु

आवश्यक सूचना

(प्रमाण-पत्रों का सत्यापन)

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के विज्ञापन सं. 02/2024 के अन्तर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु परीक्षाफल में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन परिषद् सचिवालय के विस्तारित भवन में दिनांक- 07.10.2025 (मंगलवार) को 11:30 बजे पूर्वा. में होगा। अभ्यर्थी निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उक्त स्थान पर निश्चित रूप से पहुँच जाएं। अभ्यर्थी सत्यापन हेतु विज्ञापन के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्र के साथ-साथ निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे-

1. ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति ।
2. प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति ।
3. सभी परिक्षार्थी अपना पहचान पत्र (मूल प्रति में) यथा मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ई-आधार (रंगीन प्रति) आदि के साथ उपस्थित होंगे ।
4. चार पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो ।
5. मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति) ।
6. आवासीय प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति) ।
7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :-ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है, उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
    - क. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।
    - ख. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति) ।
        - i. जाति प्रमाण-पत्र ।
        - ii. स्थायी निवासी (डोमिसाईल) प्रमाण-पत्र ।
    - ग. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति) ।
        - i. जाति प्रमाण-पत्र ।
        - ii. स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र
        - iii. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
8. प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थी का वायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा।
9. जो अभ्यर्थी बिना पूर्व सूचना के प्रमाण-पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर परिषद् सचिवालय निर्णय ले सकता है।

नवीन
04-10-25

(नवीन कुमार मिश्र)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद् ।